International Journal of Education and Science Research Review
Volume-7, Issue-5 October- 2020
E-ISSN 2348-6457
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

लार्ड कर्जन तथा गोपाल कृष्ण गोखले की विभिन्न शिक्षा–नीतियों का विश्लेषण

[1]Anjali Sharma, [2]Dr Priyanka Gupta
[1]Research Scholar, [2]Supervisor
[1,2]Malwanchal University, Indore (M.P.)

सार

आज सम्पूर्ण विश्व यह स्वीकार करने लगा है कि हमारे भविष्य को आकार देने में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हो सकती है। मानव विकास का मूल साधन शिक्षा ही है, किसी भी राष्ट्र को नई दिशा दिखाने तथा समाज का उत्थान करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा को व्यक्तित्व विकास का सर्वाधिक प्रभावी आधार माना गया है। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अज्ञान तथा शोषण से मुक्ति दिलाती है तथा वह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आन्तरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करता है। हमारे देश की शिक्षा को ऐतिहासिक दृष्टि से तीन कालो में विभाजित किया गया है प्राचीनकाल, मध्यकाल, आधुनिककाल। तीनों कालों की शिक्षा का अध्ययन करने के उपरान्त देखा गया है कि आधुनिक काल में शिक्षा के विकास का अध्ययन शिक्षा सम्बन्धी प्रस्तावों एवं नीतियों, शिक्षा आयोगों एवं समितियों के सुझावों और शिक्षा सम्बन्धी प्रयोगों के आधार पर किया गया है।

प्रस्तावना

प्रस्तुत शोधपत्र में विभिन्न शिक्षा नीतियों के आलोचनात्मक अध्ययनों, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा समय–समय पर प्रकाशित विभिन्न अभिलेखों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित अभिलेख, प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ जिलाशिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित अभिलेख, राज्य शैक्षिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका अभिनव आदि सभी को द्वितीयक या गौण स्त्रोत के रूप में प्रयुक्त किया गया है। भारत में ब्रिटिश राज्य अधिक फैल चुका था। ब्रिटिश अधिकारियों के साथ–साथ भारतीय विद्वानों ने भी विभिन्न शिक्षा नीतियॉ प्रस्तुत की थी। लार्ड कर्जन ने केन्द्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना कर शिक्षा की व्यवस्था सुव्यवस्थित की। प्राथमिक शिक्षा में लार्ड कर्जन ने संख्यात्मक वृद्धि और गुणात्मक उन्नयन के लिए आर्थिक सहायता देकर प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में अत्याधिक सुधार किया जिसका गुणात्मक उन्नयन भी हुआ। कर्जन द्वारा माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि के क्षेत्र में नैतिक व धार्मिक शिक्षा में काफी उन्नति की गई भारतीयों को ही न समझने के कारण भारतीय लार्ड कर्जन से पूर्णतया सन्तुष्ट नही थे।

प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क होनी चाहिए इसके लिए पृथक विभाग भी स्थापित किया गया गोखले ने भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करने के नियम उन्ही क्षेत्रों में लागू किये जिनमें एक प्रतिशत बच्चे प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। हर्टांग समिति का पिछले 50 वर्षो में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत कम रहा। हर्टांग समिति ने बुड घोषणा पत्र में उठाई प्राथमिक शिक्षा की समस्या अपव्यय और अवसरों धन के कारण की खोज की और उसके समाधान भी किये इस समिति द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अधिक प्रयास नही किये गये।

बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की प्रमुख देन है देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नही कर सकती। बुनियादी शिक्षा क्रिया प्रधान शिक्षा है यह प्रायः अनुभवों पर आधारित है। इस शिक्षा में 'समवायी शिक्षण विधि' का प्रयोग किया गया है। बुनियादी शिक्षा में दस्तकारी द्वारा शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया है। वर्धा योजना को भारत की निरक्षरता की महान समस्या का समाधान करने के लिए अब तक किये जाने वाले प्रयासों में साहसी और सम्पूर्ण माना गया है बुनियादी शिक्षा में प्रायः हस्तशिल्प को अधिक महत्व दिया गया है आज मशीनों का युग है प्रायः हस्तशिल्पी शिक्षा का प्रचार–प्रसार कम ही हो रहा है।

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में ब्रिटिश राज्य पूर्णतः अपनी जड़े जमा चुका था। इस समय ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित शिक्षा–नीतियाँ अधिक प्रचलित थी। इनके साथ–साथ भारतीय विद्वानों ने भी विभिन्न शिक्षा–नीतियाँ प्रस्तुत की थी। 11 मार्च सन् 1904 ई0 को लार्ड कर्जन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा–नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में

प्रकाशित किया गया। इसके पश्चात् 'गोपाल कृष्ण गोखले' ने सन् 1910 ई0 में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में गोखले विधेयक प्रस्तुत किया था। सन् 1929 ई0 में प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित हर्टांग समिति भी गठित की गई थी।

सन् 1937 ई0 में महात्मा गाँधी ने वर्धा शिक्षा–सम्मेलन में बेसिक शिक्षा योजना (बुनियादी तालीम) प्रस्तुत की थी। इसको नई तालीम और वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। डॉ0 जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा में प्रस्तावित शिक्षा योजना को अन्तिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसे 'जाकिर हुसैन समिति' कहा जाता है। ''इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की थी। प्रथम रिपोर्ट दिसम्बर सन् 1937 ई0 तथा दूसरी रिपोर्ट अप्रैल, सन् 1938 ई0 में प्रस्तुत की थी।''

इसके पश्चात् बम्बई प्रान्त के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री बी0जी0 खैर की अध्यक्षता में खैर समिति सन् 1938 ई0 का गठन किया गया जिसमें बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में काफी सुझाव दिये। बेसिक शिक्षा को प्रान्तीय सन्दर्भ में देखने समझने और उसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने के लिए आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे आचार्य नरेन्द्रदेव समिति सन् 1939 ई0 के नाम से जाना जाता है। भारत में शिक्षा के विकास हेतु बोर्ड ने ''केन्द्रीय शिक्षा सलाहाकार बोर्ड रिपोर्ट'' तैयार की गयी। इस 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेन्ट थे। यह योजना उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार की गई थी तथा उन्हीं के नाम पर इसे 'सार्जेन्ट योजना' सन् 1944 ई0 कहते हैं।

लार्ड कर्जन की शिक्षा नीतिः (1904)

''लार्ड कर्जन ने 'शिमला शिक्षा–सम्मेलन, सन् 1901 ई0 में पारित प्रस्तावों के आधार पर एक शिक्षा–नीति तैयार की और 11 मार्च, सन् 1904 ई0 को उसे एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। शिक्षा–नीति सम्बन्धी इस प्रस्ताव में सर्वप्रथम तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया गया' और उसके बाद उसमें सुधार हेतु नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई।''

शिक्षा नीति, सन् 1904 ई0 सम्बन्धी सुझावों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा सुझाव

- प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाए। इसमें भारतीय भाषाओं को मुख्य स्थान दिया जाए, अँग्रेजी को इससे हटा दिया जाए, शारीरिक व्यायाम अनिवार्य किया जाए और कुछ उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाए।
- ''प्राथमिक शिक्षा के प्रति कम ध्यान दिया गया है और उसके प्रसार के लिए कोई ठोस कदम नही उठाए गए है। अतः उसका प्रसार करना सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है।''
- स्थानीय निकाय प्राथमिक शिक्षा–कोष को केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय करें। प्रान्तीय सरकारें इन्हे आवश्यकतानुसार अनुदान दें। यह अनुदान परीक्षाफल पर आधारित न होकर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाए और प्रान्तीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत वहन करें।
- प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए, और उनके वेतन में वृद्धि की जाए।
- प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए और किण्डर गार्डन प्रणाली का प्रयोग किया जाए।

माध्यमिक शिक्षा–सम्बन्धी नीति तथा सुझाव

- जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय चलाए जा रहे है उनको गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालयों की भूमिका अदा करनी चाहिये।
- इनके पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाना चाहिये।
- सभी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाने चाहिये।
- माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उन्हें मान्यता प्रदान करने और सहायता अनुदान स्वीकृत करने के नियम कठोर किए जाने चाहिये।

- ''गैरसरकारी (अनुदान प्राप्त अथवा अप्राप्त) सभी माध्यमिक विद्यालयों को सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता लेना आवश्यक होगा।''
-

उच्च शिक्षा—सम्बनधी नीति अथवा सुझाव

उच्च शिक्षा में बाहृय परीक्षाओं का महत्व कम करके महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिये तथा उच्च शिक्षा के विस्तार और उन्नयन के लिए आवश्यक धनराशि बढ़ाई जानी चाहिये।

लार्ड कर्जन के अन्य शैक्षिक—कार्य

लार्ड कर्जन ने अनेक शैक्षिक कार्य किए उन्होंने केन्द्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की लार्ड कर्जन ने जीविकोपार्जन सम्बन्धी पाठ्यक्रम शुरू कराए तथा जीविकोपार्जन सम्बन्धी कलाओं और शिल्पों के शिक्षण की व्यवस्था कराई।
लार्ड कर्जन ने 'पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904' पारित किया जिसके अनुसार भारत सरकार में 'पुरातत्व—विभाग' की स्थापना हुई।
लार्ड कर्जन ने भारत में कृषि शिक्षा की आवश्यकता और महत्त्व को भी समझा। लार्ड कर्जन ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा दी जाये तथा उन्होंने नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया।

लार्ड कर्जन की शिक्षा—नीति का विश्लेषण एवं व्याख्या

लार्ड कर्जन की भारतीय शिक्षा के लिए जो मुख्य देन है वह इस प्रकार है।

- लार्ड कर्जन ने केन्द्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की जिससे शिक्षा की नीति लागू करना और शिक्षा की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से हुई।
- प्राथमिक शिक्षा में लॉर्ड कर्जन ने संख्यात्मक वृद्धि और गुणात्मक उन्नयन के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि बढा दी थी जिससे प्राथमिक शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि हुई और गुणात्मक उन्नयन भी हुआ।
- माध्यमिक शिक्षा का स्तर बढाने के लिए भी लॉर्ड कर्जन ने आर्थिक धनराशि भी बढ़ाई जिससे माध्यमिक विद्यालयों के स्तर में काफी सुधार हुआ।
- लार्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार किये तथा 'भारतीय विश्वविद्याय अधिनियम, 1904' को लागू किया।
- लॉर्ड कर्जन ने कृषि के क्षेत्र में भी काफी सुधार किए और उन्होंने कृषि महाविद्यालयों की भी स्थापना की।
- लार्ड कर्जन ने धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के विवाद को भी हल किया।
- लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा में सुधार के लिए अनेक कदम उठाये परन्तु भारतीयों ने इन्हें उचित न माना क्योंकि वह भारतीयों को हीन समझता था। उनमें कुछ विपरीत ही रहे।

लार्ड कर्जन ने माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने और और सहायता अनुदान देने की शर्तो को कुछ कठोर कर दी थी। इससे माध्यमिक शिक्षा का उतनी तेजी से विस्तार नहीं हो सका जितनी तेजी से होना चाहिए था । उन्होने महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने के नियम भी कठोर किये थे, इससे उच्च—शिक्षा के प्रसार में भी बाधा पड़ रही थी । विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम हुई, उन पर सरकारी नियन्त्रण अधिक हो गया । शिक्षाविदों का शैक्षिक प्रयोग करने में बाधा हो रही थी जिसके परिणामस्वरूप सुधार में कमी आ गई । लार्ड कर्जन ने सरकार द्वारा नये विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव बिना रखे ही महाविद्यालयों की स्थापना की ।

गोखले विधेयक एवं शिक्षा —नीति 1911

''गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश काल में केन्द्रीय धारा सभा ;प्उचमतपंस स्महपेसंजपअम बवनदबपसद्ध के सदस्य थे।'' गोखले अपने समय के अच्छे समाजसेवक, वक्ता, शिक्षा शास्त्री थे तथा उन्होंने उच्च धारा सभा में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव इस प्रकार था।

यह सभा सिफारिश करती है कि सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं गैरसरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र नियुक्त किया जाये। अपने इस प्रस्ताव के सन्दर्भ में गोखले ने निम्नलिखित सुझाव दिये जो निम्नलिखित हैः–

प्राथमिक शिक्षा के लिए केन्द्र में अलग से प्राथमिक शिक्षा विभाग खोला जाये। जिसमें 6 से 10 आयु वर्ग के सभी बच्चो के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जा सकेगी।
प्राथमिक शिक्षा के नियन्त्रण के लिए एक अलग से सचिव की नियुक्ति की जानी चाहिए। स्थानीय निकाय और प्रान्तीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय को 1:2 के अनुपात में वहन करे। जिससे वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का लेखा प्रस्तुत किया जा सके ।

''केन्द्रीय धारा सभा में इस प्रस्ताव पर खुलकर चर्चा हुई । केन्द्र में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रथक विभाग स्थापित किया गया और प्राथमिक शिक्षा पर नियन्त्रण करने के लिए कदम नही उठाये गए । परिणामतः सन 1911 ई0 में गोखले ने इसी प्रस्ताव को केन्द्रीय धारा सभा में विधेयक के रूप में पेश किया ।''

गोखले विधेयक–1911

गोखले ने प्राथमिक शिक्षा–सम्बन्धी अपने इस विधेयक को 16 मार्च सन 1911 ई0 को केन्द्रीय धारा सभा में पेश किया । इस विधेयक की मुख्य धाराऐं इस प्रकार थी–

- भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करने का समय आ गया है । प्रारम्भ में नियम उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया जाये जिनमें एक प्रतिशत बच्चे प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे है। इस प्रतिशत को निश्चित करने का अधिकार गर्वनर जनरल की काउन्सिल को होगा ।
- स्थानीय निकायों को यह अधिकार होगा कि व इसे अधिनियम को अपने पूरे क्षेत्र में लागू करे अथवा उसको किसी सीमित भाग में लागू करें ।
- स्थानीय निकायों को यह अधिनियम लागू करने से पूर्व प्रान्तीय सरकार की अनुमति लेनी होगी ।
- पहले यह अधिनियम बालकों की शिक्षा के लागू किया जायेगा, उसके बाद बालिकाओं की शिक्षा के लिए लागू होगा ।
- इस शिक्षा पर होने वाले व्यय को स्थानीय निकाय और प्रान्तीय सरकारे 1:2 के अनुपात में वहन करेंगी ।
- स्थानीय निकाय यदि उचित समझें तो अपने क्षेत्र में शिक्षा कर लगा सकते है ।
- जिन क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू होगा उन क्षेत्रों के अभिभावकों को 6 से 10 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में भेजना अनिवार्य होगा और नियम का उल्लंघन करने वाले अभिभावकों को दण्ड दिया जायेगा ।
- 10 रू0 माह से कम आय वाले अभिभावकों के बच्चों को कोई शुल्क नहीं देना होगा ।

इस विधेयक पर दो दिन तक बड़ी गर्मागर्म बहस हुई । गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने बिल के पक्ष में अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने अपने पक्ष में 5 तर्क प्रस्तुत किए :

- यह विधेयक समय से पहले रखा गया है, इस समय प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में बहुत कठिनाइयाँ है।
- प्रान्तीय सरकारें अभी इनके पक्ष में नहीं हैं।
- स्थानीय निकायों ने भी इस सन्दर्भ में अपनी असमर्थता प्रकट की है ।
- सामान्य भारतीय जनता इसके लिए कोई मांग नही कर रही है ।
- शिक्षित भारतीय भी इसकी अनिवार्यता के पक्ष में नही है । गोखले ने हर्टांग बटलर के इन सभी तर्को को व्यर्थ बताया। उन्होने सभा के सामने बडौदा राज्य और पश्चिमी देशों के उदाहरण प्रस्तुत किया। पं0 मदन मोहन मालवीय और मौहम्मद अली जिन्ना भी उस समय इस केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य थे। उन्होने गोखले द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन किया, परन्तु भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों ने सरकार के पक्ष में मत दिया और यह विघेयक 13 मतों के विरूद्ध 38 मतों से गिर गया ।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी निर्णय अथवा सुझाव :

प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार ने स्वीकार किया कि इस पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और सबसे अधिक व्यय किया जाना चाहिए। प्रस्ताव में आगे स्पष्ट किया गया है कि कुछ प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयों के कारण सरकार अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। परन्तु वह गैर सरकारी प्रयासों को प्रोत्साहन देकर प्राथमिक शिक्षा के प्रसार का प्रयत्न करेगी। इसमें सरकार ने यह संकेत दिया कि अभी प्राथमिक शिक्षा के पूर्णरूप से निःशुल्क नही किया जा सकता परन्तु स्थानीय निकाय निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। प्रस्ताव में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैः–

- प्राथमिक स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था की जायें।
- प्राथमिक स्कूल स्वच्छ स्थानों पर स्थापित किए जायें और उनके लिए सस्ते भवनों का निर्माण कराया जाये।
- निम्न प्राथमिक ;स्वूमत च्तपउंतल`बीववसेद्ध की संख्या में वृद्धि की जाये और इन स्कूलों में पढ़ने–लिखने तथा सामान्य गणित की शिक्षा के साथ–साथ कला, प्रकृति निरीक्षण और शारीरिक व्यायाम की शिक्षा दी जाये।
- प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों ;न्चचमत च्तपउंतल`बीववसेद्ध में विकसित किया जाये। साथ ही उपयुक्त स्थानों पर नये उच्च प्राथमिक स्कूल भी खोले जायें।
- जिन स्थानों पर स्थानीय निकाय प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था न कर पायें, वहाँ व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाये।
- मकतबों और पाठशालाओं को उदारतापूर्वक अनुदान दिया जायें।
- प्राथमिक शिक्षक कम से कम मिडिल पास हो और वह एक वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ हो।
- प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को 12 रू0 प्रतिमाह वेतन दिया जाये। आज की दृष्टि से इसका मूल्य 1200 रू0 के लगभग था।
- एक कक्षा में सामान्यतः 30–40 छात्र हों, 50 से अधिक कभी नहीं होने चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा–सम्बन्धी निर्णय एवं सुझाव :

सरकार ने स्वीकार किया कि वह माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व को सही ढंग से नही निभा पा रही थी। प्रस्ताव में माध्यमिक शिक्षा के सन्दर्भ में निम्नलिखित निर्णय अथवा सुझाव दिये। जैसे– सरकारी माध्यमिक स्कूल, गैरसरकारी माध्यमिक स्कूलों के लिए आदर्श हो सके सरकार अपने को माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त न समझ सके। छात्रों को स्वास्थ्य विज्ञान की भी शिक्षा देनी चाहिए और उनके स्वास्थ्य का समय–समय पर परीक्षण भी होना चाहिए।

माध्यमिक स्कूलों में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और शिक्षक–प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा माध्यमिक स्कूलों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए। हाईस्कूल के पाठ्यक्रम में हस्त–कौशल और विज्ञान की शिक्षा को सम्मिलित करना चाहिए और हाई स्कूल का पाठ्यक्रम अपने में पूर्ण इकाई होना चाहिए।

- सरकार ऐसे स्थानों पर सरकारी माध्यमिक स्कूलो की स्थापना करें जहां गैरसरकारी प्रयासों से माध्यमिक स्कूल स्थापित नहीं हैं ।
- गैरसरकारी माध्यमिक स्कूलों को उदारतापूर्वक अनुदान दिया जाए ।
- राजकीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रावासों की व्यवस्था की जाए ।
- सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन निश्चित होना चाहिए और अंग्रेजी के शिक्षकों का कम से कम 40 रु0 प्रतिमाह वर्तमान में 4000 रु0 प्रति माह दिया जाए।

उच्च–शिक्षा सम्बन्धी निर्णय अथवा सुझाव :

सरकार ने स्वीकार किया कि उस समय उच्च शिक्षा की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी जिसके लिए काफी सुझाव भी दिय गये। विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए छात्रावासों और प्राध्यापकों के लिए प्राध्यापक निवासों की व्यवस्था की जाये। विश्वविधालयों का कार्यक्षेत्र सीमित किया जाये। इसके लिए सर्वप्रथम प्रत्येक प्रान्त में कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये।

विश्वविधालयों के पाठयक्रमों को आवश्यकतानुसार विस्तृत किया जाए और अघटन बनाय जाये। विश्वलिद्यालयों का कार्यभार कम किया जाये, उनके स्थान पर हाईस्कूल की मान्यता का कार्यभार प्रान्तीय सरकारों और देशी राज्यों को सौंपा जाये। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में युवकों के नैतिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाये।

स्त्री–शिक्षा सम्बन्धी निर्णय अथवा सुझाव

सरकार ने स्वीकार किया कि उस समय स्त्री शिक्षा न के बराबर थी। स्त्री शिक्षा के विस्तार के सम्बन्ध में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया।

शिक्षा–प्रस्ताव नीति,1913 का विश्लेषण एवं व्याख्या :

गोखेले ने शिक्षा : गोखले ने अपने प्रस्ताव 1913 के सुझावों को नये रूप में प्रस्तुत किया। गोखले द्वारा प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं वेतन निश्चित किये गये तथा प्राथमिक विधालयों की कक्षाओं में छात्रों की संख्या निश्चित की गई। शिक्षा प्रस्ताव 1913, के अन्तर्गत माध्यमिक विधालयों के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और वेतन निश्चित किये गये। उच्च शिक्षा के स्तर को बढाने के लिए कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना केवल शिक्षण–कार्य हेतु किये गये।

गोखले ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार किये, परन्तु वह पूर्णरूप से सफल नहीं हो सके । इस प्रस्ताव में गोखले ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा तथा अंग्रेजी शिक्षकों को अन्य शिक्षकों की अपेक्षा अधिक वेतन देने का प्रावधान रखा जिसमें वह अपनी इस योजना में सफल नहीं हो सके क्योकि कुछ परिस्थितियाँ भी उस समय की दृष्टि से अनुकूल नही थी। इसलिए शिक्षा नीति 1913 का प्रभाव पूर्णरूप से सफल नही हो पाया, अर्थात इस शिक्षा नीति में कुछ भी प्रगति नहीं हो सकी।

निष्कर्ष–

उपरोक्त दृष्टिकोण स्पष्ट होते हुए भी कुछ संदर्भो में भ्रामक है। परिणाम रूप में, विद्यालय में व्यतीत समय, व्यवहार का परिभार्जित रूप, आदि दृष्टिकोणों से विश्लेषण करने पर शिक्षा को अधिक स्पष्ट रूप में विकसित करने की आवश्यकता दृष्टिगत होती है। इसी प्रकार किसी वातावरण में शिक्षा प्राप्त की एवं उस शिक्षा का प्रारूप सर्वाधिक का अविधिक में से कैसा है, भी शिक्षा के अर्थ को भिन्नता देने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। उपरोक्त के आधार पर यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र की उचित व स्पष्ट अवधारणा विकसित की जाये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

रेड्डी, जी0 एल0 : रोल परफोरमैन्स आफ एजुकेशन टीचर्स : प्रोब्लम एण्ड प्रोस्पैक्टस राजस्थान वि0वि0 जयपुर, बुकमैन एसोसिएटस, 2005

माथुर, जे0 एस0 एण्ड अदर्स : इकोनोमिक एण्उ सोशल इम्पैक्ट आफ डबलपमैन्ट प्रोग्राम्स हैदराबाद एन आई आर डी पब्लिकेशन, 1982

मास्सै, जे0 एल0 : असैसिन्सयल्स आफ मैंनेजमैन्ट, न्यू दिल्ली, प्रेन्टाइस हाल, 2014

रामाचन्द्रन , एच0 : विलेज क्लस्टर एण्ड रूरल डबलपमैन्ट, न्यू दिल्ली , कन्सैप्ट पब्लिकेशन, 2006

राय पारसनाथ : अनुसंधान परिचय, आगरा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, 2014

भूले, देवीदास एम0 : एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोब्लम्स आफ रूरल डबलपमैन्ट, 2010 थीसिस : मराठावाडा युनिवर्सिटी, 2004

मैंथ्यू, टी0 (एडी0) : रूरल डबलपमैन्ट इन इण्डिया, न्यू दिल्ली, एग्रीकोल पब्लि0 एकेडमी, 2016

लरनर, डेनियल : दि पासिग आफ ट्रेडिशनल सोसाइटी कलैन्को, दि फ्री प्रैस 1958

राजपूत, जे0 एस0 व अन्य (सम्पा0) : एक्पीरयन्सीस इन स्कुल एजुकेशन, न्यु दिल्ली, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0, 2011